



सेंट्रल रेलवे ट्रैकमैटेनर यूनियन

Central Railway Trackmaintainer Union

Office - E-05, Enasa Barrack, Mahapalika Marg, Azad Maidan, Mumbai - 400001.

Regd. No. A.L.C / Karyasan-17-11191)

Email : crtumumbai1191@gmail.com

Twitter : @crtu_cr_rly

पत्र क्र. CRTU/DP/DS/BB/01

दि. 12/05/2025

प्रति,
गा. मंडल रेल प्रबंधक,
मध्य रेल, मुंबई, छ.शि.म.ट.
महोदय,

विषय: कर्मचारियों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के निराकरण हेतु मंडल रेल प्रबंधक मुंबई के कार्यालयों के समक्ष क्रमशः दि. 28/05/2025 को विरोध एवं धरना प्रदर्शन का नोटिस।

महोदय निम्न समस्याएँ जो कर्मचारियों को आंदोलित कर रही हैं एवं जिन्हें हर संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में समय - समय पर लाने का कार्य करने के बावजूद निराकरण नहीं हो सका है जिसके कारण कर्मचारियों को न सिर्फ उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है अपितु वेहद त्रस्त हैं। यूनियन के समक्ष इन समस्याओं का निराकरण के लिये आंदोलन के अलावा अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः यूनियन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालयों के समक्ष दिनांक 28/05/2025 को 03:00 बजे से प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने का कार्य किया जायेगा।

ज्वलंत समस्याएँ निम्नलिखित हैं:

1. बडनेश वर्क शॉप में चयनित ट्रैकमैटेनर कर्मचारियों को शीघ्र रिलीव करने हेतु आवेदन :

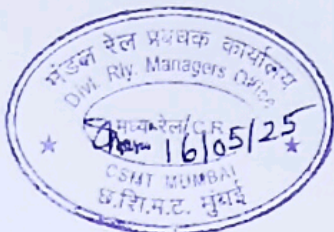
मुंबई मंडल में कार्यरत ट्रैकमैटेनर कर्मचारियों को वर्षों के बाद ऑप्शन के आधार पर नव निर्मित बडनेश वर्कशॉप के लिए आवेदन करने का मौका मिला और मंडल से 334 योग्य ट्रैकमैटेनर चयनित हुआ जिसका चयनित सूची जारी किए लगभग 8 महीने होने के बावजूद एक भी ट्रैकमैटेनर को रिलीव नहीं किया गया। हम जानते हैं कि एक साथ सभी को रिलीव करना संभव नहीं है लेकिन कम कम संख्या में रिलीव किया जा सकता है, निवेदन है चयनित कर्मचारियों को रिलीव किया जाए।

2. मुंबई मण्डल में 10%, 40% इंटेक कोटा को नियमित करने हेतु :

आप सभी आगवत हैं कि रेलवे में सभी विभागों के कर्मचारियों के अपेक्षा ट्रैकमैटेनर कर्मचारी का कार्य काफी कठिन है, समय के साथ साथ कर्मचारियों का शारीरिक शक्ति कम हो जाता है फलस्वरूप वैसे कर्मचारी ट्रैक का कार्य करने पूर्णतः सक्षम नहीं होता है ऐसे कर्मचारियों के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे डिवी में 10%, 40% इंटेक कोटा तहत जिनका उम्र 36 साल से ऊपर हो / 8 साल से अधिक दिन का सर्विस पूरा हो चुका हो उन्हें इस कोटा के तहत अन्य विभाग जैसे वर्क शॉप, करशेड, डीजल शेड, ऑपरेटिंग में स्थानांतरण करने का प्रावधान इस उद्देश्य से बनाया गया है ताकि जो शारीरिक रूप से कमजोर हुए ट्रैकमैटेनर कर्मचारी इन जगहों पर अलग सेवा दे सके। इस कोटा के तहत POH भुसावल, माटुंगा वर्क शॉप के लिए चयनित हुए हैं जिन्हें तबे समय से रिलीव नहीं किया गया है उन सभी को रिलीव किया जाए तथा मुंबई मंडल में वर्षों से इंटेक कोटा का वैकेंसी नहीं निकाला गया है तुरंत निकाला जायें।

3. रेलवे व ट्रैकमैटेनर कर्मचारियों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ पर रोक :

मध्य रेलवे मुख्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक CR/P-HQ/EC-1/70/3/Reastructurin of Tracmaintainer Dt. 05/10/2025, और वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) मुंबई द्वारा जारी पत्र क्रमांक BB.W.Mics/CPWL.HQ Dt. 01/04/2022 के निर्देशानुसार वैसे ट्रैकमैटेनर जिनका ग्रेड पे रु 2400, 2800 है उनसे ऑफिस में सहायक लिपिक, स्टोर कीपर, ट्रॉली मैन इत्यादि का कार्य नहीं लिए जाने का आदेश है। लेकिन इस आदेश को किसी भी डिपो में अमल में नहीं लाया गया, आज भी सैकड़ों ट्रैकमैटेनर जिनका ग्रेड पे रु 2800, 2400 है ट्रॉली मैन व ऑफिसों कार्य कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे ट्रैकमैटेनर हैं जिनके नाम से की-मैन का बिट आवंटित है लेकिन लेकिन उस बिट में किसी जूनियर ट्रैकमैटेनर को



जबरन भेज जाता है परिणाम रेल दुर्घटना व ट्रैकमैटेनर का रन-ओवर हो रही है। सुरक्षा को गंभीर नजर रखते हुए वरिष्ठ सभी ट्रैकमैटेनर को उनके मूल कार्यों पर भेज जायें।

4. विभागीय पदोन्नति रित्तियां निकालकर ट्रैकमैटेनर को आगे बढ़ने का अवसर दें:

अन्य विभागों के तुलना में ट्रैक मैनेजर कार्याचारियों का पदोन्नति सरता बहुत कम है बावजूद वर्ष 2021 के बाद 20% LDCE पदोन्नति के तहत JE P/PAW का कोई रित्तियां नहीं निकाला गया है जिसके कारण मंडल के योग्य हजारों कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हैं, निवेदन है कि विभागीय रित्तियां निकालकर पदोन्नति का अवसर प्रदान करें।

5. सभी इंजीनियरिंग गेटों पर 8 घंटे की इयूटी सुनिश्चित करें।

रेलवे बोर्ड आदेशानुसार वैसे इंजीनियरिंग गेट जिसका TVU 5000 से अधिक हो उस सभी गेटों पर गेट मैन का इयूटी आठ घंटे ही लिया जाना चाहिए और गुंबई मंडल के कुछ गेटों पर लिया भी जा रहा है और कुछ गेटों पर आज भी 12 घंटे का इयूटी लिया जा है। सभी गेटों पर 8 घंटे का इयूटी सुनिश्चित करें।

6. मंडल ट्रेनिंग सेंटर (DTC) में हॉस्टल का व्यवस्था :

कार्य करने की गुनवाता बढ़े, सुरक्षित व संरक्षा के साथ सेवा दे सके इस उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जाता है और ये संभव तब होगा जब कर्मचारी तनाव मुक्त DTC से प्रशिक्षित हो। वैसे ट्रैकमैटेनर जो लोनावता, ईगतपुरी, पेन से DTC के लिए CSMT आते हैं लगभग इन्हे 2-3 घंटे समय आने और 2-3 घंटे जाने में जिसके कारण काफी थक जाता है, जिसके कारण वलास में थकान महसूस करते हैं प्रशिक्षण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आपसे निवेदन है कि दूर से आ रहे हैं ट्रैकमैटेनर कर्मचारी को रुकनेके लिए DTC में ही हॉस्टल तथा खाने का व्यवस्था किया जाए।

7. संवेदनशील पदों पर स्थानान्तर नीति का अनुपालना :

रेलवे बोर्ड व CVC द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ/कनिष्ठ/प्रभारी अभियंताओं व वरिष्ठ कनिष्ठ लिपिकों इत्यादि वे सभी संबंधित अधिकारी जो संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रत्येक तीन वर्षों में किया जाना अनिवार्य है किन्तु वास्तविकता में इन स्थानान्तरण नियम को मंडल में लागू नहीं किया जा रहा है जिससे विभागिए निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा है। निवेदन है कि समय-समय पर स्थानान्तरण नियम लागू किया जायें।

8. मस्टर शीट पर ट्रैकमैटेनर कर्मचारी का हस्ताक्षर की अनुमति:

ट्रैकमैटेनर कर्मचारियों कि उपस्थिती में पारदर्शिता एवं जावबदेही सुनिश्चित करने हेतु उपस्थिती रजिस्टर पर प्रतिदिन हस्ताक्षर कि व्यवस्था की का जाए, जिससे किसी भी प्रकार का फर्जी उपस्थिती ग्राम का स्थिती समाप्त हो सके।

9. राष्ट्रीय अवकाश (NH) के दिन इयूटी करने वाले कर्मचारी को CR प्रदान करने संबंध में:

राष्ट्रीय अवकाश (NH) के दिन इयूटी करने वाले कर्मचारी को नियमानुसार दो विकल्पों में से एक प्रदान किया जाएगा: या तो उसे उस दिन के लिए निर्धारित अतिरिक्त वेतन (NH भुगतान) दिया जाए अथवा, यदि कर्मचारी चाहे, तो उसके विकल्प के अनुसार उस दिन के बदले में एक अन्य दिन का अनिवार्य अवकाश (Compensatory Rest - CR) प्रदान करने का प्रावधान करें।

10. पी. वे. विभाग के सभी कार्यालयों व ट्रैकमैटेनर के गैंग हटो के सफाई के लिए सफाई कर्मचारी आवंटन किया जायें।

रेलवे के किसी भी विभाग के अधिकारी कार्यालय हो या कर्मचारियों के लिए रैस्ट रूम जिसका साफ सफाई करने के लिए सफाईकर्मी आवंटन नहीं किया हो ले किन बड़े ही दुख की बात है कि आज तक पी वे विभाग के किसी भी कार्यालयों में सफाई के लिए सफाईकर्मी आवंटित नहीं किया है ट्रैक मैनेजर के गैंग हट में तो कल्पना भी मुश्किल है। आपसे निवेदन है कि पी वे विभाग के सभी SS P/WAY कार्यालय व सभी गैंग हट सफाई के लिए सफाई कर्मी आवंटित किया जाए।

11. इंटर डिजिटल इंटर जोन के लिए ऑन रिवेस्ट स्थानान्तरण के लिए आवेदन किए कर्मचारियों को त रिलीव किया जाए।

12. विभागीय परीक्षा में APAR का वरीयता समाप्त किया जाए तथा लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट बनाया जाए तथा कर्मचारियों द्वारा APAR अपील करने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया या सुनवाई नहीं किया जाता है अपील पर सुनवाई कर उचित पुनरविचार किया जाए।

13. स्वयं गुणवत्ता के सेप्टी समझी तथा अनियमित वितरण :
ट्रैकमेंटेनरों को अवसर प्रतिकूल मौसम - सर्दी, बारिश, गर्मी - में कार्य करना पड़ता है सुरक्षा हेतु प्रत्येक साल दो जोड़ी सेप्टी शू, उत्त कोटी का विटर जैकेट, रेनकोट, हैंड ग्लोब्स, थ्री कलर टाई, पानी की धर्मस बोतल जैसी मूलभूत सामग्री जो समय पर वितरण सुनिश्चित होना है लेकिन मुंबई मंडल में इन सामग्रियों को समय पर वितरण नहीं किया जाता है, और जो भी कुछ मिलता है निम्न कोटी का होता है जो उपयोगी नहीं होता है। यह उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए घातक है, संबंधित विभाग द्वारा इन सभी सामग्री की उत्त कोटी व समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

भा. यह स्टेड का विषय है कि पूर्व में जब भी गंभीर मुद्दे पर वार्ता का प्रयास किया गया संबंधित अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिससे संवाद स्थापित नहीं हो सका और समाधान प्रक्रिया बाधित हुई।

अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 28/05/2025 को शिष्ट मंडल की वार्ता में उपस्थित होकर यूनियन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन को स्वीकार करते हुए उल्लिखित समस्याओं का गंभीरता से अधीन कर शीघ्र समस्याओं का निराकरण करेंगे।

धन्यवाद,

- ✓ प्रति :- 1. डिवीजनल सिक्योरिटी कमिश्नर (DSC), CSMT मुंबई।
2. वरिष्ठ मंडल पुलिस अधीक्षक (SDSP), CSMT मुंबई।



भवदीय
[Signature]
(सोनु सिंह राजपूत)

भवदीय
[Signature]
(अजय शं. दलवी)

President
Central Railway Trackmaintainer Union
Mumbai Division

Secretary
Central Railway Trackmaintainer Union
Mumbai Division